"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 5 अक्टूबर 2007—आश्विन 13, शक 1929

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी; बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

बिलासपुर, दिनांक 21 सितम्बर 2007

फार्म-4
[नियम देखिये]

[लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1962 के नियम (1) के अंतर्गत]

क्रमांक /अ.वि.अ./वा-1/07.—आवेदक श्री श्री विद्यासागर जी महराज एजुकेशन ट्रस्ट, बिलासपुर द्वारा श्री प्रमोद जैन, निवासी लक्ष्मी टावर त्रिवेणी भवन के पास व्यापार विहार, बिलासपुर, छ. ग., तहसील बिलासपुर ने छ. ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 29-10-2007 को विचार में लिया जावेगा. इस संबंध में कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या संपत्ति में हित रखता है और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तत करें, अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्त्ता के

माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	ट्रस्ट का नाम और पता	:	श्री श्री विद्यासागर जी महराज, एजुकेशन ट्रस्ट बिलासपुर द्वारा- श्री प्रमोद जैन, निवासी लक्ष्मी टावर त्रिवेणी भवन के पास व्यापार विहार, बिलासपुर, छ. ग.
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

संजय अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, परिसमापक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 19 सितम्बर 2007

क्रमांक/परि./2006-07/1853.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर द्वारा छ. ग. सहकारी अधिनियम की धारा 69 के अन्तर्गत निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया गया है.

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/ दिनांक	परिसमापन में आने का आदेश क्र./दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गणेश राधेश्याम सामू. कृषि सह. समिति मर्या. सल्का नं. 1	2989/12-2-73	1750/25-06-95
2.	गणेश -------,,------- सल्का नं. 2	2990/12-2-73	1750/24-06-95
3.	शिव -------,,------- मोपका नं. 1	2991/19-12-73	1750/24-06-95
4.	उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति, चिल्हाटी	2947/24-6-71	1750/24-06-95
5.	श्री कृष्ण -------,,------- लगरा	3004/27-3-72	1750/24-06-95
6.	लक्ष्मी -------,,-------- खैरखुण्डी	3013/19-4-73	1750/24-06-95
7.	उद्वहन -------,,------- सेंदरी	3037/28-3-74	1750/24-06-95
8.	श्री शिव -------,,-------- मोहदा	3031/28-3-74	1750/24-06-95
9.	फर्शी पत्थर खदान सह. समि. पौंसरी (संबलपुरी)	3105/4-12-78	1750/24-06-95
10.	-------,,------- अमेरी अकबरी	3110/23-3-80	1750/24-06-95
11.	दुग्ध उत्पादक सह. समि. रमतला	3189/24-8-87	1750/24-06-95
12.	------,,------- पतईडीही (जुनवानी)	3190/22-9-76	1947/11-12-93
13.	------,,------- केकड़ी	3193/24-8-87	-----,,-----
14.	------,,------- चन्द्रगड़ी (मुंगेली)	3206/13-12-87	12-12-93

(1)	(2)	(3)	(4)
15.	कुम्हारी उद्योग सह. समि., बिल्हा उमरिया बिटकुली	3224/19-7-62	7308/8-12-95
16.	चांवल दाल उद्योग सह. समि. बिल्हा	2761/26-12-93	3517/10-8-73
17.	आदर्श खनिज सह. समि. दोमुहानी	3773/23-9-96	333/15-3-05
18.	करूहा बाबा खनिज सह. समि. सेंदरी	3799/1-10-96	328/15-3-05
19.	साईं बाबा भूतपूर्व सैनिक कृषि सह. समिति, बिरकोना	2907/7-7-67	2450/24-6-84
20.	मुरूम पत्थर सह. समि. रहंगी	3808/3-10-96	1281/17-10-05

अतएव छ. ग. सहकारी संस्था नियम 1962 के नियम 57 (5) के अन्तर्गत यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त समितियों के समस्त देनदार. लेनदार अपने दावे मय प्रमाण-पत्र के लिखित में इस कार्यालय में दो माह के अन्दर मुझे कार्यालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिल्हा जिला बिलासपुर में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. इस अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति की लेखा पुस्तकें अंकेक्षणी टीप में लेख समस्त दायित्व स्वत: विधिपूर्वक प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास उक्त संस्था का रिकार्ड, सम्पत्ति आदि हो तो तत्काल परिसमापक को सौंप देवें अन्यथा दण्डात्मक कार्यवाही के भागीदार होंगे.

यह सूचना आज दिनांक 19-09-07 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से प्रकाशित की गई.

के. ए. खान,
परिसमापक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.